

डिक्री मुकदमा इब्तदाई

(ओ0 20 रूल 6-7 जाका दीवानी)

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी, मुकाम -हिण्डौन सिटी जिला करौली
इजलास अनूपसिंह, R.A.S.

उनवान

जगमोहन पुत्र नानगा जाति जाटव निवासी खरैटा तहसील हिण्डौन जिला करौली
राजस्थान ----- वादी

बनाम

- | | |
|--|---|
| 1. अशोक पुत्र बुद्धि | जाति जाटव निवासी खरैटा तहसील हिण्डौन
जिला करौली राजस्थान |
| 2. गंगाबाई पत्नि बुद्धि | |
| 3. रूपसिंह पुत्र बुद्धि | |
| 4. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार तहसील हिण्डौन-लैण्ड होल्डर
----- प्रतिवादीगण | |

दावा बाबत इन्द्राज दुरुस्ती,
घोषणा खातेदारी

मुकदमा नं0354 / 2021

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रुबरु हमारे हाजिरी श्री बी0एल0 भोजपाल एडवोकेट मिन कानिव मुदई रुबरु मिन जानिब मुदायलह पेश होकर हुक्म दिया जाता है डिक्री दी जाती है कि विवादित आराजीयात खसरा नम्बर 1526 रकबा 0.20 है0, 1577 रकबा 0.18 है0, 1649 रकबा 0.36 है0, 1650 रकबा 0.02 है0, 531 रकबा 0.63 है0, 533 रकबा 0.03 है0, 685 रकबा 0.33 है0, 956 रकबा 0.39 है0, कुल किता 8 कुल रकबा 2.14 है0 वाके ग्राम खरैटा तहसील हिण्डौन में खातेदार सुखराम पुत्र नानगा हि01/2 जाति जाटव के स्थान पर जगमोहन पुत्र नानगा हि01/2 जाति जाटव संशोधन करने के आदेश दिये जाते हैं, शेष इन्द्राजात मुताविक राजस्व रिकार्ड बदस्तूर रहेंगे। तहसीलदार हिण्डौन को दिये जाते हैं कि उपरोक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में संशोधन करें। निर्णय व डिक्री की प्रति तहसीलदार हिण्डौन को पालनार्थ भेजी जावे।

बसब्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख 19.07.2022 को यह डिक्री जारी की गई।

(अनूपसिंह)

उपखण्ड अधिकारी
हिण्डौन जिला करौली